# विभागों से सम्बद्ध
# स्थायी समितियां

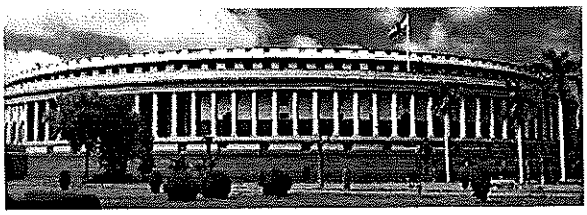

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अप्रैल, 2018/ चैत्र, 1940 (शक)

# विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियां

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
अप्रैल, 2018/ चैत्र , 1940 (शक)

सी.डी.एन. सं.

© 2018 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (पन्द्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अधीन प्रकाशित तथा महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली-110002 द्वारा मुद्रित।

## प्राक्कथन

इस पुस्तिका में विभागों से सम्बद्ध समितियों की संरचना और उनके कार्य तथा उनके द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया संबंधी बातों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है । आशा है कि इस पुस्तिका में अंतर्विष्ट जानकारी संसद सदस्यों और संसदीय अध्ययन में रुचि रखने वाले अन्य लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगी ।

**नई दिल्ली;**
5 अप्रैल, 2018
15 चैत्र, **1940 (शक)**

**स्नेहलता श्रीवास्तव,**
**महासचिव ।**

# विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां

गठन

29 मार्च, 1993 को लोक सभा और राज्य सभा ने सभी सरकारी मंत्रालयों/विभागों हेतु 17 विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के गठन संबंधी नियमों को स्वीकृति प्रदान की। विभागों से संबद्ध इन 17 स्थायी समितियों में से 11 लोक सभा के और 6 राज्य सभा के अंतर्गत थीं। इस प्रकार भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में संसद को कार्यपालिका के कार्यकरण पर प्रभावी नियंत्रण रखने और उसे निदेश देने की दिशा में एक बड़ी पहल की गई और इसके जरिए इससे और अधिक उत्तरदायी बनाया गया। नई समिति प्रणाली की शुरूआत 31 मार्च, 1993 को की गई और ये स्थायी समितियां 8 अप्रैल, 1993 को गठित की गईं।

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के कार्यकरण को एक दशक से अधिक देखने के बाद जुलाई, 2004 में इनका पुनर्गठन किया गया और इनकी संख्या को बढ़ाकर 17 से 24 कर दिया गया।

इन 24 स्थायी समितियों के क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित मंत्रालय/विभाग आते हैं:—

| क्रम सं. | समिति का नाम | | मंत्रालय / विभाग का नाम |
|---|---|---|---|
| | | | **भाग-एक** |
| 1. | वाणिज्य संबंधी समिति | (1) | **वाणिज्य और उद्योग** |
| | | (एक) | वाणिज्य विभाग |
| | | (दो) | औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग |
| 2. | गृह कार्य संबंधी समिति | (1) | **गृह** |
| | | (एक) | आंतरिक सुरक्षा विभाग |
| | | (दो) | राज्य विभाग |
| | | (तीन) | राजभाषा विभाग |
| | | (चार) | गृह विभाग |
| | | (पांच) | जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग |
| | | (छह) | सीमा प्रबंधन विभाग |
| | | (2) | **पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास** |
| 3. | मानव संसाधन विकास संबंधी समिति | (1) | **मानव संसाधन विकास** |
| | | (एक) | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग |
| | | (दो) | उच्चतर शिक्षा विभाग |
| | | (2) | **युवा कार्यक्रम और खेल** |
| | | (एक) | युवा कार्यक्रम विभाग |
| | | (दो) | खेल विभाग |
| | | (3) | **महिला और बाल विकास** |
| 4. | उद्योग संबंधी समिति | (1) | **भारी उद्योग और लोक उद्यम** |
| | | (एक) | भारी उद्योग विभाग |
| | | (दो) | लोक उद्यम विभाग |
| | | (2) | **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** |
| 5. | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी समिति | (1) | **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी** |
| | | (एक) | विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग |
| | | (दो) | वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग |
| | | (तीन) | जैव प्रौद्योगिकी विभाग |
| | | (2) | **अंतरिक्ष विभाग** |
| | | (3) | **पृथ्वी विज्ञान** |
| | | (4) | **परमाणु ऊर्जा विभाग** |
| | | (5) | **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन** |
| 6. | परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी समिति | (1) | **नागर विमानन** |
| | | (2) | **सड़क परिवहन और राजमार्ग** |
| | | (3) | **पोत परिवहन** |
| | | (4) | **संस्कृति** |
| | | (5) | **पर्यटन** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 7. | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संबंधी समिति | (1) | | **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** |
| | | | (एक) | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग |
| | | | (दो) | स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग |
| | | (2) | | **आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी (आयुष)** |
| 8. | कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधि समिति | (1) | | **विधि और न्याय** |
| | | | (एक) | विधि मामले विभाग |
| | | | (दो) | विधायी विभाग |
| | | | (तीन) | न्याय विभाग |
| | | (2) | | **कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन** |
| | | | (एक) | कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग |
| | | | (दो) | प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) |
| | | | (तीन) | पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण |
| | | | | **भाग-दो** |
| 9. | कृषि संबंधी समिति | (1) | | **कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण** |
| | | | (एक) | कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग |
| | | | (दो) | कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग |
| | | | (तीन) | पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग |
| | | (2) | | **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** |
| 10. | सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी समिति | (1) | | **संचार** |
| | | | (एक) | डाक विभाग |
| | | | (दो) | दूर संचार विभाग (डीओटी) |
| | | (2) | | **इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी** |
| | | (3) | | **सूचना और प्रसारण** |
| 11. | रक्षा संबंधी समिति | (1) | | **रक्षा** |
| | | | (एक) | रक्षा विभाग |
| | | | (दो) | रक्षा उत्पादन विभाग |
| | | | (तीन) | रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग |
| | | | (चार) | पूर्व सेनानी कल्याण विभाग |
| 12. | उर्जा संबंधी समिति | (1) | | **नवीन और नवीकरणीय उर्जा** |
| | | (2) | | **विद्युत** |
| 13. | विदेश मामलों संबंधी समिति | (1) | | **विदेशी मामले** |
| 14. | वित्त संबंधी समिति | (1) | | **वित्त** |
| | | | (एक) | आर्थिक मामले विभाग |
| | | | (दो) | व्यय विभाग |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | (तीन) | वित्तीय सेवाएं विभाग |
| | | | (चार) | निवेश और लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग |
| | | | (पांच) | राजस्व विभाग |
| | | (2) | | **कार्पोरेट कार्य** |
| | | (3) | | **योजना (नीति आयोग)** |
| | | (4) | | **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन** |
| 15. | खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति | (1) | | **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण** |
| | | | (एक) | उपभोक्ता मामले विभाग |
| | | | (दो) | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग |
| 16. | श्रम संबंधी समिति | (1) | | **श्रम तथा रोजगार** |
| | | (2) | | **कौशल विकास और उद्यम** |
| | | (3) | | **वस्त्र** |
| 17. | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी समिति | (1) | | **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** |
| 18. | रेल संबंधी समिति | (1) | | **रेलवे** |
| 19. | शहरी विकास संबंधी समिति | (1) | | **आवासन और शहरी कार्य** |
| 20. | जल संसाधन संबंधी समिति | (1) | | **जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण** |
| 21. | रसायन और उर्वरक संबंधी समिति | (1) | | **रसायन और उर्वरक** |
| | | | (एक) | रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग |
| | | | (दो) | उर्वरक विभाग |
| | | | (तीन) | औषध विभाग |
| 22. | ग्रामीण विकास संबंधी समिति | (1) | | **ग्रामीण विकास** |
| | | | (एक) | ग्रामीण विकास विभाग |
| | | | (दो) | भूमि संसाधन विभाग |
| | | (2) | | **पेयजल और स्वच्छता** |
| | | (3) | | **पंचायती राज** |
| 23. | कोयला और इस्पात संबंधी समिति | (1) | | **कोयला** |
| | | (2) | | **खान** |
| | | (3) | | **इस्पात** |
| 24. | सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समिति | (1) | | **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** |
| | | | (एक) | सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग |
| | | | (दो) | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (दिव्यांगन) |
| | | (2) | | **जनजातीय मामले** |
| | | (3) | | **अल्पसंख्यक कार्य** |

उपरोक्त भाग-एक और दो में विनिर्दिष्ट समितियां क्रमशः राज्य सभा के सभापति और लोक सभा के अध्यक्ष के निदेशों के अंतर्गत कार्य करती हैं।

संरचना

13 वीं लोक सभा तक प्रत्येक समिति में 45 सदस्य होते थे जिनमें 30 सदस्य लोक सभा के सदस्यों में से लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाते थे और 15 सदस्य राज्य सभा के सदस्यों में से राज्य सभा के सभापति द्वारा नाम-निर्दिष्ट किए जाते थे। तथापि, विभागों से सम्बद्ध इन स्थायी समितियों के जुलाई, 2004 में पुनर्गठन के बाद इनमें से प्रत्येक में 31 सदस्य होंगें लोक सभा के 21 और राज्य सभा के 10 सदस्य होंगे। इन समितियों में विभिन्न दलों/समूहों का प्रतिनिधित्व संसद के दोनों सदनों में उनके सदस्यों की संख्या के अनुपात में होता है। इन समितियों में अन्य संसदीय समितियों की तुलना में सदस्यों की संख्या इसलिए अधिक रखी गई है ताकि नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और परियोजनाओं के विचार-विमर्श में और सरकार द्वारा इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अधिकाधिक सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

सभापति की नियुक्ति

भाग-एक में विनिर्दिष्ट प्रत्येक स्थायी समिति के सभापति की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा तथा भाग-दो में विनिर्दिष्ट प्रत्येक समिति के सभापति की नियुक्ति लोक सभा अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों में से की जाती है।

मंत्री समिति का सदस्य नहीं होगा

किसी भी मंत्री को किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नाम-निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और यदि कोई सदस्य किसी स्थायी समिति के लिए नाम-निर्दिष्ट होने के बाद मंत्री नियुक्त किया जाता है, तो ऐसी नियुक्ति की तारीख से वह समिति का सदस्य नहीं रहता है।

कार्यकाल

प्रत्येक स्थायी समिति का कार्यकाल अपने गठन की तारीख से एक वर्ष का होता है।

उप-समितियों/अध्ययन दलों की नियुक्ति

समिति का सभापति, समिति द्वारा चुने गये विषयों का विस्तृत अध्ययन/जांच करने, पिछले प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही संबंधी उत्तरों की जांच करने और प्रक्रियात्मक तथा सामान्य मामलों पर विचार करने की दृष्टि से संबंधित समितियों के सदस्यों में से अध्ययन दल/उप-समितियां नियुक्त कर सकता है।

तकनीकी विशेषज्ञों/सलाहकारों आदि को सम्मिलित करना

स्थायी समितियां प्रतिवेदन तैयार करने से पूर्व यदि आवश्यक हो, तो विशेषज्ञों या आम जनता की राय ले सकती हैं।

अन्य उपबंध

उन मामलों को छोड़कर जिनके लिए स्थायी समितियों से संबंधित नियमों में विशेष उपबंध किया गया है, राज्य सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू सामान्य नियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ पांचवीं अनुसूची के भाग-एक में विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे ताकि लोक सभा में अन्य संसदीय समितियों पर लागू सामान्य नियम उपर्युक्त अनुसूची के भाग-दो में यथा विनिर्दिष्ट स्थायी समितियों पर लागू होंगे।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों के कृत्य

प्रत्येक स्थायी समिति के निम्नलिखित कृत्य हैं:—

(क) संबंधित मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों पर विचार करना और उनके संबंध में सभाओं को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। प्रतिवेदन में किसी प्रकार के कटौती प्रस्तावों का सुझाव नहीं किया जायेगा;

(ख) संबंधित मंत्रालयों/विभागों से संबंधित ऐसे विधेयकों की जांच करना जो राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा जैसी भी स्थिति हो, सौंपे गये हैं उनके संबंध में सभा को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना;

(ग) मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों पर विचार करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना; और

(घ) दोनों सदनों में प्रस्तुत राष्ट्रीय आधारभूत दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेजों जो राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा समिति को सौंपे गये हों, पर विचार करना और उन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

स्थायी समितियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन के मामलों पर विचार नहीं करतीं। ये समितियां सामान्यत: अन्य संसदीय समितियों के विचाराधीन मामलों पर भी विचार नहीं करती हैं।

स्थायी समितियां सरकारी उपक्रमों पर भी विचार नहीं करती क्योंकि वे अनन्य रूप से सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं।

अनुदानों की मांगों की जांच संबंधी प्रक्रिया

1993 से पहले समय की कमी के कारण संसद में बहुत कम मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर चर्चा/उनकी जांच की जाती थी। विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की स्थापना होने से सभी मंत्रालयों/विभागों की अनुदानों की मांगों की प्रभावी ढंग से जांच सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत

व्यवस्था किए जाने के संबंध में बहुत लंबे अर्से से महसूस की जा रही आवश्यकता की काफी हद तक पूर्ति हो गयी है।

प्रत्येक स्थायी समिति द्वारा अनुदानों की मांगों पर विचार करने तथा प्रतिवेदन तैयार करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा:—

(क) सभा में बजट पर सामान्य चर्चा हो जाने के पश्चात् सभा को एक निश्चित अवधि के लिए स्थगित कर दिया जायेगा;

(ख) समितियां, उपर्युक्त अवधि के दौरान संबंधित मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों पर विचार करेंगी;

(ग) समितियां, उपर्युक्त अवधि के दौरान ही अपने प्रतिवेदन तैयार करेंगी और इससे अधिक समय दिए जान का अनुरोध नहीं करेंगी;

(घ) सभा अनुदानों की मांगों पर इन समितियों के प्रतिवेदनों के परिप्रेक्ष्य में विचार करेगी; और

(ङ) प्रत्येक मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर पृथक प्रतिवेदन होगा।

विधेयकों पर विचार करने संबंधी प्रक्रिया

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों का एक कार्य विधेयकों की जांच करना है। स्थायी समितियां अब अपने मंत्रालयों/विभागों से संबंधित लगभग सभी विधेयकों की जांच करती हैं, जब उन्हें सभा में पुर:स्थापित किए जाने के बाद लोक सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य सभा के सभापति द्वारा समितियों को भेजा जाता है।

विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों द्वारा विधेयकों की जांच करने और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने संबंधी प्रक्रिया इस प्रकार है:—

(क) समिति उन्हें सौंपे गए विधेयकों के सामान्य सिद्धान्तों और खंडों पर विचार करेगी और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी;

(ख) समिति किसी भी सभा में पुर:स्थापित केवल ऐसे विधेयकों पर विचार करेगी जिन्हें, सभापति, राज्य सभा अथवा अध्यक्ष लोक सभा द्वारा जैसा भी मामला हो, उन्हें सौंपा गया हो; और

(ग) समिति दिए गए समय में ही विधेयक के संबंध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी।

इक्कीस वर्षों (1993-94 से मई, 2014) की अवधि में ही विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों को 527 विधेयक भेजे गए और 476 विधेयकों पर प्रतिवेदन स्वीकृत किए गए और दोनों

सभाओं में प्रस्तुत किए गए। यद्यपि विभागों से सम्बद्ध स्थायी समितियों की सिफारिशें प्रत्ययकारी हैं, फिर भी इस नई प्रणाली में विधेयकों में अन्तर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत और गहन विश्लेषण करने में मदद मिली है।

**सरकार की दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेज**

राज्य सभा के सभापति या लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा जैसी भी स्थिति हो, जब भी सरकार की दीर्घावधि नीति संबंधी दस्तावेज विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों के पास भेजे जाते हैं ये समितियां उनकी भी जांच करती हैं। स्थायी समितियों ने अब तक निम्नलिखित राष्ट्रीय दीर्घावधि नीतियों संबंधी दस्तावेजों पर विचार किया है तथा इन पर सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं:-

1. प्रारूप कृषि नीति संकल्प, 1992
2. राष्ट्रीय कृषि नीति
3. नई दूरसंचार नीति, 1999
4. राष्ट्रीय औषध नीति
5. राष्ट्रीय आवास नीति

**वार्षिक प्रतिवेदन/विषय**

विभागों से संबद्ध स्थायी समितियां, अनुदानों की मांगों, विधेयकों और नीति संबंधी दस्तावेजों की जांच करने और उन पर प्रतिवेदन तैयार करने के अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के वार्षिक प्रतिवेदनों/उन पर आधारित विषयों को भी संवीक्षा के लिए लेती हैं। अप्रैल, 1993 से मई, 2014 की अवधि के दौरान विभागों से संबंद्ध स्थायी समितियों ने वार्षिक रिपोर्टों तथा उन पर आधारित विषयों पर 587 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए।

**प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश**

जांच किये गये विषय के संबंध में प्रत्येक स्थायी समिति के निष्कर्ष उसके प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट होते हैं जिन्हें समिति द्वारा स्वीकार करने और मंत्रालय द्वारा तथ्यात्मक सत्यापन के बाद उस समिति के सभापति द्वारा सभाओं में प्रस्तुत किया जाता है। समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदनों के साथ सभा पटल पर रखे जाते हैं।

स्थायी समितियों के प्रतिवेदन सदस्यों की व्यापक सहमति पर आधारित होते हैं। तथापि समिति का कोई भी सदस्य प्रतिवेदन के संबंध में अपना विमत टिप्पण दे सकता है जिसे सभा में प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

**की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन**

स्थायी समितियों के प्रतिवेदन प्रत्ययकारी होते हैं तथा उन्हें समिति द्वारा दी गई सुविचारित सलाह माना जाता है। सभा अनुदानों की मांगों तथा विधेयकों पर समिति के प्रतिवेदन को ध्यान में रखकर विचार करती है। अनुदानों की मांगों संबंधी प्रतिवेदनों तथा अन्य विषयों के संबंध में संबंधित मंत्रालय या विभाग से प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों और निष्कर्षों पर कार्यवाही करने तथा तीन महीने के भीतर की-गई-कार्यवाही का उत्तर देने का अनुरोध किया जाता है। मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त कार्यवाही टिप्पणों की समिति द्वारा जांच की जाती है तथा उन पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन सभा को प्रस्तुत किए जाते हैं।

**समिति के प्रतिवेदनों के संबंध में मंत्री द्वारा वक्तव्य**

मंत्री, संबंधित मंत्रालय के बारे में लोक सभा की विभाग संबद्ध स्थायी समितियों के प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में छह माह में एक बार सभा में वक्तव्य देंगे।

**की-गई-कार्रवाई विवरण सभा पटल पर रखना**

सरकार को की-गई-कार्रवाई उत्तर अग्रेषित करते समय, संबंधित मंत्रालय से यथा शीघ्र अध्याय-एक में अंतर्विष्ट सिफारिशों के संबंध में उनके द्वारा की-गई-कार्रवाई अथवा की जाने वाली कार्रवाई और की-गई-कार्रवाई प्रतिवेदन के अध्याय-पांच में अंतर्विष्ट सिफारिशों के अंतिम उत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। इस प्रकार से प्राप्त उत्तरों को 'विवरण' के रूप में समेकित किया जाएगा और सभापति की अनुमति के बाद सभा पटल पर रखा जाएगा।

**विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा निष्पादित कार्य**

दसवीं लोक सभा की अवधि के दौरान 17 स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों/विषयों से संबंधित कुल 422 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये। इनमें से 309 मूल प्रतिवेदन तथा 113 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान 17 स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों/विषयों से संबंधित कुल 204 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से 154 मूल प्रतिवेदन ओर 50 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

बारहवीं लोक सभा के दौरान 17 स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 241 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से 161 मूल प्रतिवेदन तथा 80 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

तेरहवीं लोक सभा के दौरान 17 स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 787 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से 463 मूल प्रतिवेदन तथा 324 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

चौदहवीं लोक सभा के दौरान 24 स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 1036 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से 622 मूल प्रतिवेदन तथा 414 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

पंद्रहवीं लोक सभा के दौरान, स्थायी समितियों ने अनुदानों की मांगों, विधेयकों, नीतियों और वार्षिक प्रतिवेदनों से संबंधित कुल 1017 प्रतिवेदन प्रस्तुत किए। इनमें से 590 मूल प्रतिवेदन थे तथा 427 की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन थे।

GMGIPMRND—339LS(S3)—18.06.2014.

महाप्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिंटो रोड, नई दिल्ली–110002 द्वारा मुद्रित।